संख्याः– 980 / xxviii–5–2010–50 / 2009

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक 22 जून, 2010

विषयः मा0 अपर जिला जज, प्रथम तीव्रगामी हल्द्वानी नैनीताल द्वारा दीवानी अपील संख्या 06 / 2009 मैसर्स शर्मा प्रिंटर्स बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.2.09 के अनुपालन में ब्याज की धनराशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3प / प0क0 / 5 / 3 / 2009 दिनांक 04.06.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें । मा0 अपर जिला जज, प्रथम तीव्रगामी हल्द्वानी नैनीताल द्वारा दीवानी अपील संख्या 06 / 2009 मैसर्स शर्मा प्रिंटर्स बनाम राज्य व अन्य में दि0 24.02.09 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये गये :–

"अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है । अवर न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांकित 19.11.07 निरस्त किया जाता है। वादी का वाद रू0 1,82,000.00 (एक लाख बयासी हजार) की वसूली के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाता है । प्रतिवादीगण / प्रत्यर्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त धनराशि एक माह के अन्दर वादी / अपीलार्थी को अदा करे। वादी / अपीलार्थी उक्त धनराशि पर वाद दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी पाने का हकदार होगा"

2– उक्त आदेश के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या 1039 / XXVII-5-2009-50/2008 दिनांक 31.08.09 द्वारा सम्बंधित फर्म को भुगतान किये जाने एवं ब्याज की धनराशि चिहिन्त अधिकारियों / कर्मचारियों से की जाने के आदेश पारित किये गये एवं दिनांक 14.10.09 को मैसर्स शर्मा प्रिटिंग प्रेस को रू0 1,82,000.00 का भुगतान कर दिया गया है।

3– मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.2009 के अनुपालन में उक्त धनराशि पर वाद दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज का भुगतान दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों से वसूलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । चूंकि उक्त प्रक्रिया में समय लगने की सम्भावना है । अतः मा0 न्यायालय के आदेश दि0 24.02.09 की अवमानना एवं विभाग को कुर्की / नीलामी की सम्भावना के मद्देनजर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मैसर्स शर्मा प्रिटर्स को वाद दायर करने की तिथि 06.03.2002 से भुगतान की तिथि दिनांक 14.10.09 तक रू0 96,892.00 एवं ब्याज का भगुतान समय पर न होने के कारण ब्याज की धनराशि रू0 96,892.00 पर दिनांक 14.10.08 से ब्याज भुगतान की सम्भावित तिथि 24.06.2010 तक 7 प्रतिशत साधारण ब्याज रू0 4,735.00 इस प्रकार ब्याज की कुल धनराशि रू0 1,01,627.00 (रूपये एक लाख एक हजार छः सौ सत्ताईस मात्र) का भुगतान निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1 ब्याज की धनराशि दोषी कार्मिकों से एक माह के भीतर वसूल करते हुए राजकोष में जमा करायी जाए एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाए ।

.......2

2. धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है ।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान सं0–07 लेखाशीर्षक 2052–राचिवालय सामान्य सेवायें–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय 06–मा0 न्यायालयों द्वारा की गयी डिग्री से सम्बन्धित धनराशि 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–109 (NP)/XXVII(3)/2010–11 दिनांक 21–06–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

संख्याः– १७७ (1)/xxviii–5–2010–50/2009 तददिनांक

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
4. जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) हल्द्वानी, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. मैसर्स शर्मा प्रिंटर्स, रामनगर रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।
9. गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।